देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...
जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल
JAWAB DO SARKAR ™
www.jawabdosarkar.com
रेफरेंस संख्या –2020/mmp/31 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | मंगलवार, 27 अक्तूबर 2020

जे.डी.ए. में इंस्पेक्टर राज की शुरुआत

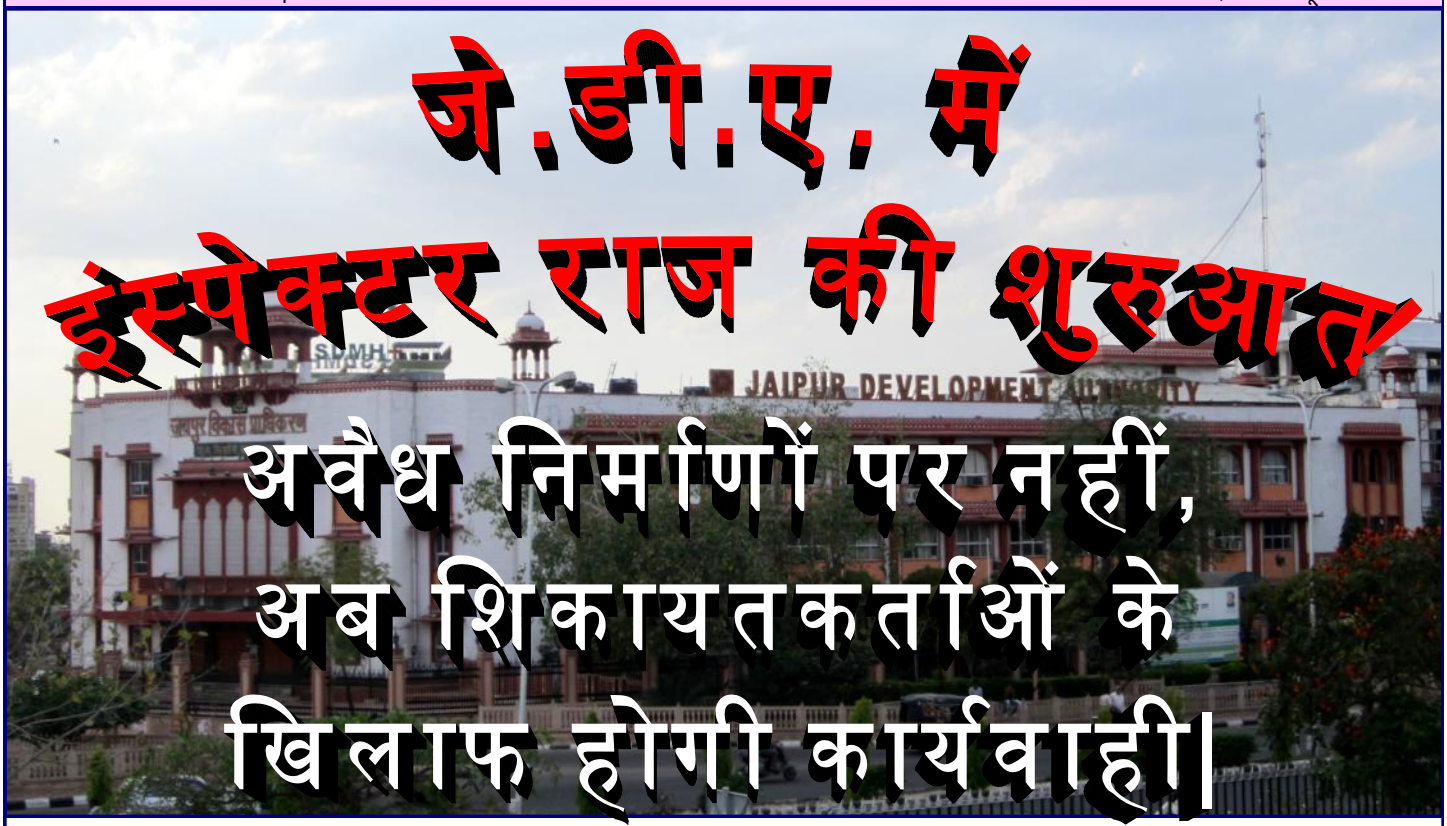

अवैध निर्माणों पर नहीं, अब शिकायतकर्ताओं के खिलाफ होगी कार्यवाही|

जेडीए का अब जीरो टॉलरेंस • बैठक में महत्वपूर्ण फैसला

अतिक्रमण की 3 कैटेगरी; व्यावसायिक, सरकारी इमारत और आवास पर अवैध निर्माण

भास्कर रिपोर्टर | जयपुर

शहर में बढ़ते अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर लगाम कसने के लिए जेडीए ने नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी है। जेडीए ने शहर में अवैध निर्माण, अतिक्रमण को रोकने के लिए तीन कैटेगरी बनाई है। जेडीसी गौरव गोयल की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रवर्तन शाखा की मीटिंग में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया और प्रवर्तन शाखा को जीरो टोलरेंस की नीति पर काम करने के निर्देश दिए।

कॉर्डिनेशन से काम करेगी जोन और प्रवर्तन शाखा, एसओएस सिस्टम डवलप होगा: जेडीसी गौरव गोयल ने बताया कि कई मामलों में जोन और प्रर्वतन शाखा के अधिकारियों के बीच कॉर्डिनेशन नहीं होने से मामले का निस्तारण नहीं हो पाता ऐसे में जोन और प्रर्वतन शाखा के बीच कॉर्डिनेशन बनाने के निर्देश दिए है। मुख्य नियंत्रक प्रर्वतन रघुवीर सैनी ने बताया कि अवैध निर्माण, अतिक्रमण की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए एसओएस यानि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाएगा, इससे स्टेप-टू-स्टेप काम होगा। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के बाद मौके पर तारबंदी और बाउंड्रीवाल बनाने के टेंडर जारी होंगे। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स और रिहायशी आवास पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की नीति निर्धारित होगी।

शहर में अवैध निर्माण; अब होगी सख्त कार्रवाई

- **पहली कैटेगरी** – सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और निर्माणा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ कार्रवाई की जाएगी।
- **दूसरी कैटेगरी**– व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में नियम विरुद्ध निर्माण, समुचित पार्किंग सुविधा, भवन निर्माण में 60:40 अनुपात की पालना, फायर फाइटिंग सिस्टम, लाइटनिंग अरेस्टर आदि नियमों को पूरी तरह से पालना होगी। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई।
- **तीसरी कैटेगरी** – निजी आवास निर्माण के दौरान अवैध निर्माण नहीं करने के समझाइश होगी, आदतन शिकायतकर्ताओं द्वारा बार-बार शिकायत करने पर पहले निरीक्षण कर जांच की जाएगी, नियम विरुद्ध निर्माण पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कृषि भूमि पर अवैध कालोनी बसाने पर राजस्थान टीनेंसी एक्ट की धारा 175 के तहत संबंधित उपखंड अधिकारी के यहां खातेदारी निरस्त की अपील की जाएगी।

■ **तीसरी कैटेगरी** – निजी आवास निर्माण के दौरान अवैध निर्माण नहीं करने के समझाइश होगी, आदतन शिकायतकर्ताओं द्वारा बार-बार शिकायत करने पर पहले निरीक्षण कर जांच की जाएगी, नियम विरुद्ध निर्माण पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कृषि भूमि पर अवैध कालोनी बसाने पर राजस्थान टीनेंसी एक्ट की धारा 175 के तहत संबंधित उपखंड अधिकारी के यहां खातेदारी निरस्त की अपील की जाएगी।

हाल ही जे.डी.ए. में अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के विरुद्ध जीरो टोलरेंस निति अपनाने की बात कही है|परन्तु इसकी आड़ में अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों की शिकायत करने वालों की आवाज ही दबाने का कार्य किया जाने लगा है|क्या है पूरा प्रकरण?पढ़िए इस विस्तृत रिपोर्ट में!!!

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

आप भी सुनिए क्या कह रहे है जे.डी.ए.पी.आर.एन.नार्थ के प्रवर्तन अधिकारी श्री राम बडेसरा एक शिकायतकर्ता से??

महिला(शिकायतकर्ता) : हैलो।

इंस्पेक्टर : हैलो, कौन बोल रहे हैं?

महिला(शिकायतकर्ता) : आप कौन?

इंस्पेक्टर : मैं जेडीए इंस्पेक्टर बोल रहा था पीआरएन नॉर्थ-श्रीराम बडेसरा| तुमने यह शिकायत डाली है क्या? ये प्लॉट नं. 95 मंगल विहार मीनावाला की?

महिला(शिकायतकर्ता) : हाँ सर डाली हुई है ना!!

इंस्पेक्टर : तुम कहाँ रहते हो?

महिला(शिकायतकर्ता) : सर मैं एनजीओ में वर्क करती हूँ|

इंस्पेक्टर : कौनसा एनजीओ है तुम्हारा?

महिला(शिकायतकर्ता) : नेशनल इंटेलिजेंस ब्रांच|

इंस्पेक्टर : कल इस एनजीओ के कागज़ और खुद की आईडी 10:30 बजे लेकर और सुबह आना आप, सोमवार को जेडीए में आना पीआरएन नॉर्थ के अंदर|

महिला(शिकायतकर्ता) : पीआरएन नॉर्थ के अंदर जेडीए में?

इंस्पेक्टर : हाँ, जेडीए के अंदर आना अपने इस एनजीओ के अटेस्टेड सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट लाना, खुदकी आईडी लाना और खुद आना|

महिला(शिकायतकर्ता) : ओके सर|

जवाब मांगते सवाल?

- क्या पीआरएन नॉर्थ के प्रवर्तन अधिकारी श्रीराम बडेसरा बताएँगे कि जे.डी.ए. एक्ट की कौनसी धारा में शिकायतकर्ता को अपने कार्यालय में बुलाने की बात लिखी है?
- जे.डी.ए. में प्रवर्तन अधिकारी का काम अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों के विरुद्ध कार्यवाही करना है या फिर शिकायतकर्ता/ब्लेकमेलर की तस्दीक करना?
- माना कि यह महिला वाकई शिकायतकर्ता ना होकर ब्लेकमेलर हो तो क्या इसी बिना पर श्रीराम बडेसरा सम्बंधित प्लाट नं. 95 मंगल विहार मीनावाला पर हो रहे अवैध निर्माण पर कार्यवाही नहीं करेंगे?
- क्या प्रवर्तन अधिकारी को किसी अवैध निर्माण/अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए किसी शिकायत को आधार बनाना पड़ता है?
- यदि कोई ब्लेकमेलर किसी अवैध निर्माणकर्ता को ब्लेकमेल करता है तो उस अवैध निर्माणकर्ता को सम्बंधित थाने जाना चाहिए या फिर जे.डी.ए. आकर सम्बंधित अवैध निर्माण पर कार्यवाही नहीं करने की गुहार लगानी चाहिए?
- जे.डी.ए. ने इन प्रवर्तन अधिकारियों को सरकारी गाड़ियाँ फिल्ड में इंस्पेक्शन करने के लिए दी है या फिर घरेलु कार्यों के लिए?
- अवैध निर्माणों को नहीं रोकना भी क्या भ्रष्टाचार नहीं है?

इंस्पेक्टर : हाँ, ठीक हैना!! यह शिकायतें कौन-कौनसी है इन शिकायतों की लेके आना तुमने क्या किया है यह शिकायतें, कहाँ से लेके आई, किससे कलेक्ट करी??

महिला(शिकायतकर्ता) : ठीक है, ठीक है।

इंस्पेक्टर : कब जाके आए वहाँ?कब विजिट किया??

महिला(शिकायतकर्ता) : हाँ-हाँ बिल्कुल-बिल्कुल|

इंस्पेक्टर : हाँ लेके आना|

महिला(शिकायतकर्ता) : ठीक है|

विधायक श्री विवेक धाकड़ द्वारा 14वीं विधानसभा के 10 वें सत्र में पूछा गया सवाल|

1. जयपुर शहर में निर्माणाधीन/नवनिर्ति मकानों में सैट बैक छोड़ने संबंधित शिकायतों पर कार्यवाही प्रभावित व्यक्ति/पड़ौसी/स्थानीय विकास समिति द्वारा ही किये जाने पर कार्यवाही की जाती है अथवा किसी अन्य गैर प्रभावित व्यक्ति/संस्था/वकील की शिकायत पर भी कार्यवाही की जाती हैं ? इस संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये नियमों की प्रति उपलब्ध करावें ?

2. क्या जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में निर्माणाधीन /नवनिर्मित मकानों के संबंध में किसी एक अथवा दो व्यक्ति विशेष/वकील /संस्था द्वारा कई शिकायतें की जा रही हैं एवं मकान मालिकों को ब्लैक मेल किया जा रहा हैं ? यदि हां, तो ऐसी शिकायतों एवं शिकायतकर्ता की सूची सदन की मेज पर रखें ?

3. क्या ऐसे फर्जी एवं ब्लैकमेलर शिकायतकर्ताओं के खिलाफ जेडीए किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो क्या व नहीं तो क्यों ?

इस सन्दर्भ में जे.डी.ए. द्वारा दिया गया जवाब|

1- जयपुर शहर में निर्माणाधीन/नवनिर्मित मकानों में सेटबैक में अवैध निर्माण की शिकायत किसी भी माध्यम से प्राप्त होने पर व स्वप्रेरणा से मौका निरीक्षण कर जयपुर विकास प्राधिकरण भवन विनियम के प्रावधानों के अनुसार वायलेशन रिपोर्ट प्राप्त कर जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 31, 32, 33 व 34(क) के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाती है, जो एक सतत् प्रक्रिया है।

2- जी नहीं। निर्माणाधीन/नवनिर्मित मकानों के संबंध में किसी एक अथवा दो व्यक्ति विशेष/वकील/संस्था द्वारा ब्लेकमेलिंग संबंधी कोई शिकायत/परिवाद प्राप्त नहीं होने से सूचना शून्य है।

3- ब्लेकमेलर शिकायतकर्ताओं के विरूद्ध संबंधित पीड़ित पक्ष द्वारा स्थानीय पुलिस थानों में ही शिकायत दर्ज कराई जाकर अनुतोष प्राप्त किया जाता है।

14वीं विधानसभा के 10वें सत्र में विधायक श्री विवेक धाकड़ द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के सम्बन्ध में जे.डी.ए. द्वारा दिया गया जवाब

खबरों की खबर

'शिकायतकर्ता' और 'ब्लैकमेलर' में उलझे

जेडीए की प्रवर्तन विंग 'शिकायतकर्ता और ब्लैकमेलर' शब्द की दुविधा में उलझी है। अवैध निर्माण व अतिक्रमण की शिकायतों पर कार्रवाई करना व नहीं करना इन दोनों शब्दों से ही तय हो रहा है। कुछ निरीक्षक इन शब्दों का शातिर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्डर व शोरूम के सामने टीन-टप्पर हटाने के लिए 'शिकायतकर्ता का दबाव' होता है। वहीं अवैध बिल्डिंग व कॉलोनियों पर कार्रवाई नहीं करनी होती है तो बड़े साहब को कह देते हैं कि 'कोई शिकायत नहीं है, कार्रवाई करेंगे तो सवाल उठेंगे।' गलती से कोई शिकायत आ भी गई तो सीधा जवाब- 'साहब ब्लैकमेलर होगा। कुछ लेना चाहता होगा। हम जांच कर लेते हैं कि शिकायत क्यों की है।'

ऊपर हुए प्रवर्तन अधिकारी और शिकायतकर्ता के मध्य वार्तालाप और अवैध निर्माणों के सम्बन्ध में विधायक महोदय को दिए गए जवाबों से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जे.डी.ए. प्रवर्तन का वास्तविक कार्य क्या है?

अवैध निर्माण नहीं रोकना भी भ्रष्टाचार

उच्च न्यायालय ने दिखाई सख्ती

जयपुर @ पत्रिका . अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियां नहीं रोकने वाले लोकसेवकों पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई का रास्ता खुल गया है। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियों पर सख्ती दिखाते हुए सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के दायरे के बारे में जानकारी के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एमएन को तलब किया। कोर्ट ने 20 अप्रेल को जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त, नगर निगम आयुक्त को तलब किया है।

जज महेश चन्द्र शर्मा ने मोहनलाल नामा की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण मामले में 22 जनवरी 2015 को अभ्यावेदन देने का आदेश दिया था। इस पर कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की है। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने कोर्ट को बताया कि जयपुर शहर में अवैध निर्माण व कब्जे हो रहे हैं। कोर्ट के आदेशों की अवमानना हो रही है। अवैध निर्माण व कब्जों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों को क्षेत्रवार जिम्मेदारी दी है। कोर्ट ने इस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है या नहीं? जवाब के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एम एन को तलब किया। उन्होंने दायित्व के प्रति अनदेखी को भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में माना।

कार्रवाई संभव

अतिरिक्त महाधिवक्ता जी एस गिल ने कहा कि अवैध निर्माण या अवैध गतिविधियां रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी जानबूझकर कार्रवाई न करे या अनदेखी करे तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए प्रक्रिया अपनानी होगी। गिल के आग्रह पर कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले में कोई आदेश जारी करने से पहले जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त व जयपुर नगर निगम आयुक्त से जवाब तलब किया जाए।

सुनवाई 20 को

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई भी अधिवक्ता पक्ष रखना चाहे तो वह सुनवाई के दौरान पक्ष रखने को स्वतंत्र होगा। मामले की सुनवाई अब 20 अप्रेल को सुबह 11 बजे होगी।

अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त

क्यों न अतिक्रमण रोकने में फेल अफसरों पर एसीबी कार्रवाई हो

हाईकोर्ट ने कहा, जेडीसी एवं निगम कमिश्नर से जवाब मांगे सरकार

जयपुर| हाईकोर्ट ने शहर में हो रहे अवैध निर्माण व कब्जों को गंभीरता से लेते हुए मंशा जताई है कि क्यों न जो अफसर अपने क्षेत्र में इन्हें रोकने में फेल रहे हों उन पर एसीबी कानून के तहत कार्रवाई की जाए। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वह जेडीसी व नगर निगम कमिश्नर से इस संबंध में जवाब मांगे। न्यायाधीश महेश चन्द्र शर्मा ने यह अंतरिम आदेश मोहनलाल नामा की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए सोमवार को दिया। अदालत ने कहा कि प्रदेश में और मुख्य तौर पर जयपुर शहर में अवैध निर्माण और कब्जे हो रहे हैं और इनके बारे में जब कोर्ट कोई स्थगन आदेश देता है तो उसकी परवाह किए बिना ही अवमानना होती रहती है। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस संबंध में एसीबी आईजी दिनेश एमएन को भी तलब किया। इस दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल ने कहा कि यदि अफसर जानकारी होने के बाद भी कार्रवाई नहीं करता या अनदेखी करता है तो एसीबी उसके खिलाफ कानून के तहत उस पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करनी होगी और इसमें कोई अपराध बनता है तो एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान करना चाहिए।

परकोटे में अतिक्रमण

निगम कमेटी बताए आपत्तियों पर क्या कार्रवाई की

हाईकोर्ट ने परकोटे में अवैध निर्माण व अतिक्रमण मामले में पक्षकारों की आपत्ति सुनने वाली कमेटी को 2 मई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कमेटी से पूछा कि उन्होंने आपत्तियों पर क्या कार्रवाई की। न्यायाधीश अजय रस्तोगी व जेके रांका की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश सोमवार को बृजमोहन जांगिड़ की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इस दौरान प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि कमेटी ने आपत्तियों के निस्तारण के संबंध में कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है। जबकि नगर निगम ने कहा कि सुनवाई के दौरान समय-समय पर रिपोर्ट पेश की गई है। वहीं व्यापार मंडल की ओर से कहा गया कि वे आवंटी हैं। सभी पक्षकारों को सुनकर अदालत ने मामले की सुनवाई 2 मई तय करते हुए नगर निगम की कमेटी से रिपोर्ट पेश करने को कहा।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के अनुसार अवैध निर्माणों पर जानबूझ कर कार्यवाही नहीं करने पर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया जा सकता है|

जे.डी.ए. प्रवर्तन के अधिकारी पुख्ता कार्यवाही की बजाय जे.डी.ए. में थानेदारी करना चाहते है|

यदि जे.डी.ए. के प्रवर्तन अधिकारी अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों के विरुद्ध पुख्ता कार्यवाही करने लगे तो क्या किसी अवैध निर्माणकर्ता की मजाल है कि वह अवैध निर्माण/अतिक्रमण कर, शहर के सुनियोजित विकास में बाधा बन सके?और जब अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों पर कार्यवाही ही होने लगेगी तो कौन भलामानस होगा जो ब्लेकमेलरों की डिमांड पूरी करेगा?दरअसल अधिक से अधिक माल बटोरने के लिए सम्बंधित अधिकारी शिकायतों पर कार्यवाही की बजाय शिकायतकर्ता को ब्लेकमेलर कह कर अपने बड़े अधिकारियों को कनवेंस कर देते है और शिकायतकर्ता की आवाज दबाने का अतिरिक्त शुल्क भी अवैध निर्माणकर्ता से वसूल लेते है|इस प्रकार इन अधिकारियों की पांचो उँगलियाँ घी में और सर कढाई में होता जा रहा है|

जे.डी.ए. की अन्य कमेटियों जैसे BPC,LPC TRAFFIC आदि की तरह ही अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों पर आयुक्त स्तर पर निगरानी हेतु कमिटी का गठन ही अंतिम विकल्प

लगता है जे.डी.ए. प्रवर्तन में अब इंस्पेक्टर राज कायम हो गया है,क्यूंकि जे.डी.ए. के उच्च अधिकारियों द्वारा ना तो प्रवर्तन अधिकारियों की मासिक रिपोर्ट ली जाती है और न ही साप्ताहिक रिपोर्ट|केवल आम जन को फेब्रिकेटेड ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए रोज खेतों से कुछ अतिक्रमण हटाने की खबरे छपवाई जाती है|यदि आयुक्त महोदय वाकई अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों के विरुद्ध जीरो टोलरेंस की निति अपनाना चाहते है तो उन्हें अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों पर आयुक्त स्तर पर निगरानी हेतु कमिटी का गठन करना होगा,जो कि जे.डी.ए. से इंस्पेक्टर राज के खात्मे का एकमात्र विकल्प है|